राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

विविध प्रार्थना पत्र संख्या 05, 06, 07, 08, 09 एवं 10/2018..............................जिला...........अलवर....

मैसर्स अम्बे लैबोरेट्रीज लि0, अलवर बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन राज. तृतीय, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/04/2018	**खण्डपीठ** **श्री राजीव चौधरी, सदस्य** **श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य** विभाग की ओर से उप राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल पोखरणा उपस्थित। व्यवसायी/उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। ये छः विविध प्रार्थना पत्र कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2017 में प्रदत्त समय तीन माह में वृद्धि किये जाने हेतु प्रस्तुत किये गये है। राजस्थान कर बोर्ड द्वारा ~~पारित~~ अपील संख्या 1267 से 1272/2017/अलवर निर्णय दिनांक 15.11.2017 द्वारा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर तीन माह में उभयपक्षों को सुनते हुए पुनः आदेश पारित करने के आदेश जारी किये थे, जिसकी अवधि दिनांक 14.02.2018 को समाप्त होने जा रही है। सहायक आयुक्त ने निवेदन किया कि व्यवहारी ने जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा है एवं तीन माह की उक्त समयसीमा को राजस्व हित में एक वर्ष तक बढाने का निवेदन किया। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए न्यायहित में समयसीमा आज दिनांक से तीन माह के लिये बढायी जाती है एवं कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि मूल आदेश दिनांक 15.11.2017 में प्रदत्त निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए तीन माह के भीतर पुनः आदेश पारित करे। उपरोक्तानुसार प्रस्तुत विविध प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाते है। निर्णय सुनाया गया। 24/04/18 **सदस्य** **राजस्थान कर बोर्ड** **अजमेर** **सदस्य** **राजस्थान कर बोर्ड** **अजमेर**	